भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3594

दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

बच्चों को गोद लेना

3594. डा. गणपथी राजकुमार पी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बच्चा गोद लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव/नीति है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में कार्यरत कई फर्जी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से गोद देने में संलिप्त हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (2021 में यथा संशोधित) का प्रबंधन कर रहा है जो देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःमिलन के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, (2021 में यथा संशोधित), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 (2022 में यथा संशोधित) और दत्तकग्रहण विनियम, 2022 की शुरूआत के साथ, भारत सरकार ने देश भर में गोद लेने के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित किया है। कुल मिलाकर, यह

व्यापक ढांचा सुनिश्चित करता है कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को पारदर्शी और कानूनी रूप से सशक्त गोद लेने की प्रक्रिया के माध्यम से एक सुरक्षित, स्थायी और प्यार करने वाला परिवार मिल सके।

गोद लेने की प्रक्रिया हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए), 1956 के माध्यम से भी की जाती है जिसका प्रबंधन विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

(ग): जी नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****